राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकःएफ 4(1)आप्र.एवं सहा./पेयजल /2014/ 1840-63 जयपुर,दिनांक 26-2-15

जिला कलेक्टर, (सहायता)
अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर,
चित्तौड़गढ, चूरू,डूंगरपुर, श्रीगंगानगर,
हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर,
प्रतापगढ़, जैसलमेर (राज0)।

विषयः— अभाव सम्वत 2071 में अकाल प्रभावित शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकाली पेयजल उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश।

प्रसंगः— राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19.2.2015 के निर्णय के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19.2.2015 में सम्वत 2070 की भांति सम्वत 2071 हेतु राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित जिलों में पेयजल परिवहन व्यवस्था का निर्णय लिया गया है जिसकी क्रियान्विति भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2013 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से व्यय के लिए निर्धारित मानदण्डों के तहत अभावग्रस्त जिले में की जायेगी। राज्य के अभावग्रस्त जिलों में से बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा,डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिले के कुल गांवों में से अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण इन जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था की जा सकती है एवं शेष जिलों क्रमशः अजमेर, बीकानेर, चित्तौडगढ, चूरू, श्रीगंगानगर, जालोर, हनुमानगढ़ एवं जोधपुर में अभावग्रस्त घोषित गांवों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होने के कारण केवल अभावग्रस्त घोषित गांवों में ही पेयजल परिवहन व्यय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से देय होगा तथा शेष क्षेत्र के लिए पेयजल व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जायेगी।

इस सम्बन्ध में विभागीय पत्र एफ.4(1) आ.प्र.एवं सहा/पेयजल/2014/12511-20 दिनांक 12.12.2014 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,
26/2/15
शासन सचिव

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज.,जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन विभाग एवं प्रबंध निदेशक, आरसीडीएफ,जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा.अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर ।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

शासन संयुक्त सचिव

(II)